स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम– श्री मुरली वाला युवा सेवा समिति ।
2–संस्था का पता– ग्राम व पो0 साथिनी तह0 इगलास जिला–अलीगढ ।
3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4–संस्था के उद्देश्य –

1– उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक–युवतियों के लिए आधुनिक शिक्षापरक शिक्षण संस्थानों तकनीकी, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि एंव प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों, बी0टी0सी0, बी0एड0,एम0एड0, लॉ कालेज, आई.टी.आई. कालेज की स्थापना कर उन्हें स्वावलम्बी एंव आत्मनिर्भर बनाना।

2– शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एंव इण्टर मीडिएट कालेज, डिग्री कालेज, पी0जी0कालेज की स्थापना करना।

3– समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों एंव जागरूकता शिविरें, जागरूकता यातायात शिविरों रैली आदि के माध्यम से अनिवार्य हैल्मिट लगाना व यातायात नियमों के पालन सम्बन्धी जानकारी, निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, रक्तदान शिविरों, विचार गोष्ठियों, राहत शिविरें, बालश्रम उन्मूलन कार्यकम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेद्य, स्वच्छता, साक्षरता कार्यकमों को व्यापक स्तर पर चलाना ।

4– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास कार्यकम जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिग कला प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन, तथा टंकण, आशुलिपि, संगीत एवं कम्प्यूटर (हार्डवेयर–साफ्टवेयर), मोबाइल रिपोरिंग, इलैक्ट्रानिक इलैक्ट्रिक उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

5– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना तथा निशुल्क स्वाथ्य रक्षा शिविरों को लगाकर गरीब लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करना।

6– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार सहयोग देना । राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यकमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना युवाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करना।

7– ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्र,, सामाजिक कार्यकमों लिये सेवासदन एंव अन्य धर्मार्थ संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, निःशुल्क औषधालयों का संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना ।

8– केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चें, पक्के नालों का निर्माण कराना।

9– निराश्रित महिलाओं एंव अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यकम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।

10– शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार निगम, तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एंव मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाये जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोडने हेतु सडक खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों आश्रय स्थल की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास करना ।

राज्य प्रतिनिधि

11– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि, जैविककृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करना, किसान कल्याण हेतु विभिन्न सरकारों एंव सरकारी संस्थाओं से प्रयास करना ।

12– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भेड पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन आदि को बढावा देना तथा फ्लोरिकल्चर एंव अन्य उन्नति कृषि को बढावा देना एंव कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यो की ओर प्रेरित कर गॉवों का सर्वागीण विकास करना ।

13– पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिए पशुशाला, गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एंव गायों के गोबर व मूत्र और आयुर्वेदिक जडी बूटियों से औषधि तैयार कर उसका प्रचार करना तथा गाय के गोबर, एवं गौ मूत्र का खाद एवं औषधि के रूप में उपयोग किये जाने की प्रेरणा देना ।

14– सामाजिक अवस्थाओं को दूर करने में सहयोग करना एवं गरीब, दलित, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उत्थान के लिये कार्य करना एवं उनकी हरसम्भव मदद करना । निर्धन कन्याओ की दहेज मुक्त सामूहिक विवाह संस्कार जैसे कार्यकमों का आयोजन कराना ।

15– प्राकृतिक सम्पदा वन, पर्वत, नदियों, झीलों आदि में होने वाले प्रदूषण, अवैध खनन, व अतिक्रमण से बचाने का हरसम्भव प्रयास करना ।

16– निरन्तर गिर रहे भूजल को रोकने व जल के अनैतिक दोहन को रोकना एवं विलुप्त हो रहे पोखर, तालाबों, जलश्रोतों, जलाशयों जो कि जल संचयन/संरक्षण में सहायक है उन्हें पुराने स्वरूप में लौटाने का प्रयास करना । जल ही जीवन है के महत्व को जन–जन तक पहुँचाना ।

17– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास शासन की अनुमति से करना ।

18– जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यकमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना ।

19– समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों, विकलॉगों व निराश्रित, लाचार बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना बालआश्रम, अनाथालय एंव वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

20– महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूह, महिला स्वंय सहायता समूहो का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

21– देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकम चलाना ।

22– अल्पसंख्यकों, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों एंव विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना ।

23— महात्मागॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, तथा स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन व्यवस्था जैसी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों में कियान्वित कराना।

24— समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

25— बाल विकास, महिलाओं का विकास उन पर होने वाले अत्याचार, एंव दुराचार, महिला उत्पीडन को रोकना तथा उनकी समस्याओं को महिला एंव बाल आयेाग तक पहुँचाकर पीडितों की हरसम्भव सहायता करना ।

26— बालकों, बालिकाओं, एंव महिलाओं से करायी जाने वाली भिक्षावृत्ति रोकना एंव रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के सहयोग से उनका बौद्धिक विकास करना एंव उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, जिससे समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों को रोका जा सकें।

27— नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिये विशेष अभियान चलाना तथा यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकना व विशेष सफाई अभियान चलाकर यमुना व गंगा नदी की पवित्रता, शुद्धता बनाये रखना ।

28— निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एंव बाल कल्याण निधी महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, डी0आर0डी0ए0, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गॉधी फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वागीण विकास करना ।

29— उ0प्र0खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयेाग के वित्तीय सहयोग से ग्रामोद्योगी ईकाईयों जैसे साबुन, दियासलाई, मसाले, दलिया जैसे लघु ग्रामोद्योग की स्थापना करना चलाना ग्रामोद्योगी वस्तुओ का उत्पादन करना तथा विक्री कर प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

30— यह कि राज्य/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थायी बोर्डो/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्कमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान किया जायेगया और नही ऐसे पाठ्यकम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।

सत्य प्रतिलिपि
B.Singh
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

शिवकुमार
पवन कुमार
Singh
Nitin kumar
रविकुमार वर्मा
धर्मेन्द्र सिंह
प्रवीन कुमार
तनुज कुमार शर्मा
Rajnikant
D. Singh
पूजा कुशवाह
धर्मेन्द्र

5-- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री शिव कुमार पुत्रश्री कालीचरन	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री कृष्ण कुमार पुत्रश्री हम्बिर सिंह	18 गली नं0–3 रूममणि बिहार मथुरा	उपाध्यक्ष	स0सेवी
3–श्री पवन सिंह पुत्रश्री रामप्रताप सिंह	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	प्रबन्धक / सचिव	सेवारत
4–श्री प्रवीण कुमार पुत्रश्री रामप्रताप सिंह	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	उपसचिव	सेवारत
5–श्री तनुज गर्ग पुत्रश्री विशन स्वरूप	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6–श्री रवि कुमार वर्मा पुत्रश्री कालीचरन	3 साथिनी इगलास अलीगढ	उपकोषाध्यक्ष	व्यापार
7–श्री यतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रश्री राजवीर सिंह	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	संगठनमंत्री	नौकरी
8–श्री नितिन कुमार पुत्रश्री रघुराज सिंह	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	मीडियाप्रभारी	चिकित्सक
9–श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्रश्री गौरीशंकर	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	सदस्य	सेवारत
10–श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्रश्री राजवीर सिंह	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	सदस्य	नौकरी
11–श्री रजनी कान्त पाठक पुत्रश्री महेन्द्र सिंह पाठक	ग्राम व पो0 साथिनी जिला–अलीगढ	सदस्य	समाजसेवा

6–हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अर्न्तगत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है।

दिनांक–2–07–2017

पवन कुमार Singh शिवकुमार

Nitin Kumar रविकुमार वर्मा

धर्मेन्द्र सिंह प्रवीन कुमार D Singh

सत्य प्रतिलिपि

तनुज कुमार गर्ग

Rajnikant यतेन्द्र

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली

1–संस्था का नाम– श्री मुरली वाला युवा सेवा समिति ।
2–संस्था का पता– ग्राम व पो0 साथनी तह0 इगलास जिला–अलीगढ ।
3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें ।
5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क देंगे वे इस संस्था के सदस्य सचिव/प्रबन्धक द्वारा विधिवत सदस्यता रसीद प्रदान करने पर ही संस्था के सदस्य बन सकेगें ।
जो निम्न वर्ग के होगें –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5000/–रू0 सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 500/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को सचिव/प्रबन्धक दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर सकेगें, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–
1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5–लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6–किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा ।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– <u>(अ) गठन</u>– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

<u>(ब) बैठकें</u>– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

<u>(स) सूचना–अवधि</u>–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित संचार माध्यम जैसे–टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., फैक्स आदि से सदस्यों को दी जावेगी ।

रविकुमार वर्मा
पवन कुमार
Singh
Nitin Kumar

सत्य प्रतिलिपि
कनिष्ठ सहायक
कार्या० उप रजि० फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं0, आगरा
26/7/17

Scanned with OKEN Scanner

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर हुआ करेगा ।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 7 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबन्धक, एक उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, एक उपकोषाध्यक्ष, एक संगठनमंत्री, एक मीडियाप्रभारी एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारणसभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित संचार माध्यम जैसे–टेलीफोन, ई–मेल, एस.एम.एस., फैक्स द्वारा संस्था सचिव द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संस्थापक सदस्यों के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, बैकों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकासार्थ संस्था की अपनी भूमि, भवन, चल–अचल सम्पत्ति का कय करना एवं आवश्यकतानुसार उसे किराये या पटटे पर उठाना, बन्धक रखना, विकय करना । संस्था के प्रयोगार्थ आवश्यकतानुसार बैंक आदि से ऋण प्राप्त कर भवनों का निमार्ण करना उसे आवश्यक प्रायौगिक सुविधाओं से सुसज्जित करना ।

6–संस्था द्वारा संचालित इन्स्टीट्शन/कालेज के विकासार्थ संस्था की ओर से चल अचल सम्पत्तियों का कय–विकय एवं ऋण प्राप्त करने हेतु संस्था की समस्त अचल चल सम्पत्तियों को बन्धक/गिरवी रखने एवं ऋण हेतु समस्त कार्यवाही करने का अधिकार सचिव/प्रबन्धक का होगा ।

रवि कुमार वर्मा

पवन कुमार

Singh

Nitin Kumar

सत्य प्रतिलिपि

(ल)कार्यकाल–प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
2–मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों को देना मीटिंग स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपें गये कार्य एंव सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

सचिव/प्रबन्धक –1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
3–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों व शिक्षण संस्थानों/कालेजों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
4–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानों की मान्यता सम्बद्धता आदि के सम्बन्ध में पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित कर सम्बद्धता प्राप्त करना ।
6–आकस्मिक व्यय हेतु 25000/–रूपया तक अपने पर रखना व व्यय करना ।
7–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बन्धक विलेखों, बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
8–संस्था के आजीवन संरक्षक, सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमिता व संस्था विरोधी कार्य करने पर उसे छः वर्ष तक की अवधि के लिये सभा से निलम्बित करना जिसकी पुष्टि एक माह के अन्दर प्रबन्धसमिति की बैठक में 2/3 बहुमत से कराना ।
9–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
10–सदस्यताशुल्क प्राप्त कर नये सदस्य बनाना ।
11–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपसचिव – सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपें गये कार्य एंव सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष– 1–संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।
2–संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
3–सचिव/प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

उपकोषाध्यक्ष– कोषाध्यक्ष के कार्यो में उनका सहयोग करना ।

संगठनमंत्री– संस्था के सदस्यों को संगठित रखना एवं नये सदस्य बनाने के लिये अध्यक्ष व महामंत्री से सिफारिश करना तथा सदस्यों/पदाधिकारियों की समस्याओं को सभा पटल पर रखना ।

मीडियाप्रभारी– 1–संस्था के उद्देश्यों का प्रसार करना करना विज्ञापन विज्ञप्तियों का प्रकाशन प्रचार प्रसार तथा बैनर, होडिंग, पोस्टर, पम्पलेट का प्रकाशन कराना व उनका विभिन्न विज्ञापन ऐजेन्सियों से सम्पर्क कर प्रचार प्रसार कराना ।
2–अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा सौंपे गये हों करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से बचत या चालू खाता खोलकर जमा किया जावेगा। जिसका संचालन संस्था के सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी भी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव/प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15–संस्था के अभिलेखः–1–सदस्यता रजिस्टर
2–कार्यवाही रजिस्टर ।
3–एजेण्डा रजिस्टर,
4–कैश बुक, पासबुक आदि जो आवश्यक होगें रखे जायेंगें ।

16–संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में–
संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धसमिति के सभी सदस्यों पर होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋणदाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाय चाहे भले ही सदस्य संस्था से प्रथक ही क्यों न हो गया हो ।

ऋण के पक्ष में जमानत हेतु संस्था के निजी अचल सम्पत्ति का साम्यक बन्धक/बन्धक होगा यदि संस्था के पास अपनी निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी अचल सम्पत्ति का बन्धक/साम्यक बन्धक कर सकेंगे ।

17–संस्था का विघटन–संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अर्न्तगत की जावेगी ।

दिनॉक–05–06–2017

सत्यप्रतिलिपि

Singh

पवन कुमार

Nitin Kumar

सत्य प्रतिलिपि

रवि कुमार वर्मा

Scanned with OKEN Scanner